न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 06/2017

विनोद बनाम विनय वगैरह

दिनांक–19.11.2025

अधिवक्ता वादीगण श्री प्रमोद कुमार मोदी व अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री राजेश गोस्वामी व श्री आरिफ खोखर उपस्थित। प्रतिवादी पराग द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता का जवाब अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रतिलिपि प्रार्थी द्वारा प्राप्त किये जाने के बाद उभयपक्ष को आवेदन पर सुना गया।

बहस के दौरान प्रार्थी/प्रतिवादी पराग द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क दिया गया कि उनके द्वारा परीक्षित करवाये गये साक्षी डी.डब्ल्यू 1 से प्रतिवादी संख्या 2 पराग के नाम व पहचान के संबंध में अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछे गये थे जबकि पराग स्व. उमा देवी का लड़का व प्रीति का भाई है। अतः प्रीति की शादी के फोटोग्राफ्स जिनमें परिवारजन के अन्य सदस्यों के साथ पराग चितले भी उपस्थित है, जिससे उपर्युक्त फोटोग्राफ तथा पराग का पासपोर्ट प्रकरण में सुसंगत दस्तावेज है इसलिए पराग चितले का पासपोर्ट भी इस संबंध में सुसंगत दस्तावेज है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपर्युक्त दस्तावेज अर्थात् फोटोग्राफ व पासपोर्ट की प्रतिलिपि व वॉट्स एप चैट को अभिलेख पर लिया जावे।

उपर्युक्त तर्कों के खण्डन में अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में पराग चितले नामक व्यक्ति के बयान नहीं हुए हैं तथा प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में किस प्रकार सुसंगत हैं यह स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत आवेदन को अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि यद्यपि प्रकरण मूल रूप से प्रतिवादी संख्या 2 पराग की पहचान से संबंधित नहीं है किन्तु प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादीगण के स्तर पर है तथा पराग द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं क्योंकि डी.डब्ल्यू 1 की परीक्षा में प्रतिवादी संख्या 2 से

19.11.2025

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.

हुक्म या कायर्वाही मय इनिशियल जज

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 06/2017

विनोद बनाम विनय वगैरह

संबंधित प्रश्न पूछे गये हैं तथा प्रस्तुत दस्तावेज प्रार्थी पराग से संबंधित हैं एवं इन दस्तावेजों की ग्राह्यता साक्षियों की परीक्षा के दौरान तय किये जाने वाला विषय है, ऐसी स्थिति में इस स्तर पर न्यायालय द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों के प्रतिवादी पराग से संबंधित होने से सुसंगतता को दृष्टिगत रखते हुए इन दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः प्रतिवादी पराग द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार कर शादी के फोटोग्राफ्स व पासपोर्ट तथा वॉट्स एप चैट की प्रतिलिपियों को अभिलेख पर लिया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु दिनांक 20.11.2025 को पेश हो।

19.11.2025

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.